

4. मानकों का विवरण

(क) लाइसेन्स हेतु :- संस्थान महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित है। अतः महानिदेशक, नागर विमानन, भारत सरकार द्वारा सिविल एवियेशन रिकवायरमेन्ट में जो मानक दिये गये हैं उन्हीं के अनुरूप संस्थान में शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

(ख) डिप्लोमा हेतु:- संस्थान में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शिक्षण-प्रशिक्षण कार्य किया जाता है।

(ग) वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्यों हेतु :- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विविध शासनादेशों तथा वित्तीय नियम संग्रह में दिये गये मानकों के अनुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।